न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –30/2018 जिला दौसा

1. श्रीमती अनोखी पत्नि हीरा लाल , जाति कोली, निवासी ग्रम मोहनपुरा, तहसील लवाण, जिला दौसा (राज.)

अपीलार्थिनी

बनाम

1. आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी मोहनपुरा जरिए जगदीश पुत्र पालूराम, जाति मीना, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्रम मोहनपुरा, ढाणी चांदा की तहसील लवाण, जिला दौसा (राज.)
2. मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र मीना, उम्र 60 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्रम मोहनपुरा ढाणी चांदा की तहसील लवाण, जिला दौसा (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 4.5.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक बटवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक एवं श्री उमेश गौड
3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 7.8.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 4.5.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि जमाबन्दी संवत 2071–2074 के अनुसार ग्रम लवाण, तहसील लवाण, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.0100 का खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/2 राहिन जयपुर नागौर ग्रमीण आंचलिक बैंक शाखा लवाण मूर्तहीन बिला कब्जा ज्याना पत्नि रामचन्द हिस्सा 1/2 कौम मीना है तथा आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.1000 की खातेदार अपीलान्ट अनोखी पत्नी हीरा लाल कौम कोली सा. मोहनपुरा है । तहसीलदार लवाण द्वारा प्रार्थना पत्र आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी ग्रम लवाण द्वारा जगदीश चांदा के संबंध में पत्र क्रमांकः भू.अ./2017/1456 दिनांक 29.12.2017 उप खण्ड अधिकारी दौसा को उपरोक्त खातेदारों की भूमि में से रास्ते संबंधी समस्या के निराकरण हेतु लिखा गया जिस पर उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.5.2018 द्वारा प्रकरण आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी ग्रम लवाण जगदीश चांदा द्वारा वास्ते आम रास्ता ख.नं. 1422 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में कटवाने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार लवाण को आदेश दिये गये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 1410 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर संलग्न् नक्शानुसार वाके ग्रम लवाण तहसील लवाण में स्थिति दोनों खसरा नम्बरान गै. मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में उक्त खातेदान की खातेदारी मे रखते हुये दर्ज

करें एवं उभयपक्षों को पाबन्द किया गया कि उक्त रास्ते को रास्ते के उपयोग में ही लेवें तथा अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं करें व रास्ते के आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें । सदैव के लिये प्रतिबंधित रहे ।

उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.5.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनोखी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 4.5.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम लवाण, तहसील लवाण, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.1000 की खातेदार अपीलान्ट अनोखी पत्नी हीरा लाल कौम कोली सा. मोहनपुरा है, जिसमें होकर आज दिन तक कभी कोई रास्ता नहीं रहा, जो राजस्व रेकार्ड से भी प्रमाणित है । अपीलार्थिनी अनुसूचित जाति की गरीब , अबला महिला है जिसके पास उक्त भूमि के अलावा जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई भूमि एवं साधन नहीं है । अपीलार्थिनी उक्त भूमि में काश्त कर एवं मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन कर रही है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट मीना जाती के धनाढ्य एवं रसूखदार व्यक्ति है, जिसने अपने रसूख से अपीलार्थिनी की खातेदारी भूमि में से जबरन तीसरा नया रास्ता कायम कराया है, जो न्याय के नैसर्गित सिद्धान्त के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है । उनका कहना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उप खण्ड अधिकारी को अधिकार प्रदान किये गये हैं कि यदि किसी खातेदार की भूमि में आने जाने बाबत कोई रास्ता विद्यमान न हो तो काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि में सुविधा पूर्वक पहुँच सके, रास्ता कायम कर सकते हैं , लेकिन इस प्रकरण में ग्रम चांदा की ढाणी आबादी के उपयोग में आ रही है जिसमें कोई काश्त नहीं होती है तथा ढाणी में आने जाने के लिये अनादिकाल से दो रास्ते आराजी खसरा नम्बर 1457 व 1333 में से होकर विद्यमान है जिनमें खसरा नम्बर 1457 में ग्रम पंचायत द्वारा सीमेन्टेड रोड व खसरा नम्बर 1333 में ग्रेवल रोड डाल रखी है, जो ग्रम चांदा ढाणी के लोगों के लिये आने जाने हेतु विद्यमान है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमियॉ भी इन्हीं रास्तों से जुडी हुई है । ऐसी स्थिति में जब पूर्व से ही दो रास्ते कायम हो तो कानूनन तीसरा रास्ता कायम किया जाना वैधानिक नहीं है । उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दु तहसीलदार की रिपोर्ट से भी प्रमाणित थे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये तीसरा रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में पूर्व से प्रचलित रास्तों से आन जान नहीं है । रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक एवं टिप्पणी तहसीलदार लवाण खसरा नबर 1422 एवं 1410 में से रकबा 0.02 हैक्टेयर में गैर मुमकीन रास्ता अंकन किये जाने की है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने तहसीलदार लवाण द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी , तहसील लवाण पर पक्षकारों को सुना जाकर राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 को दृष्टिगत रखते हुये अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2018 पारित किया है । उनका कहना था कि कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता ग्रम चांदा की ढाणी के

व्यक्तियों के गॉव एवं खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु सुविधाजनक एवं उपयुक्त रहेगा । अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है , जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने बाबत है । तहसीलदार लवाण द्वारा प्रार्थना पत्र आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी ग्रम लवाण द्वारा जगदीश चांदा ने उप खण्ड अधिकारी दौसा को रास्ते संबंधी समस्या के निराकरण हेतु प्रेषित किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.5.2018 द्वारा प्रकरण आमजनता ग्रम चांदा की ढाणी ग्रम लवाण जगदीश चांदा द्वारा वास्ते आम रास्ता ख.नं. 1422 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में कटवाने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार लवाण को आदेश दिये गये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 1410 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर संलग्न् नक्शानुसार वाके ग्रम लवाण तहसील लवाण में स्थिति दोनों खसरा नम्बरान गै. मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में उक्त खातेदान की खातेदारी मे रखते हुये दर्ज करें एवं उभयपक्षों को पाबन्द किया गया कि उक्त रास्ते को रास्ते के उपयोग में ही लेवें तथा अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं करें व रास्ते के आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें । सदैव के लिये प्रतिबंधित रहे । अपीलान्ट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति कि अपीलार्थिनी अनुसूचित जाति की गरीब, अबला महिला है जिसके पास उक्त भूमि के अलावा जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई भूमि एवं साधन नहीं है । अपीलार्थिनी उक्त भूमि में काश्त कर एवं मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन कर रही है । रेस्पोंडेन्ट मीना जाती के धनाढ्य एवं रसूखदार व्यक्ति है, जो अपने रसूख से अपीलार्थिनी की खातेदारी भूमि में से जबरन तीसरा नया रास्ता कायम कराया है, जो न्याय के नैसर्गित सिद्धान्त के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उप खण्ड अधिकारी को अधिकार प्रदान किये गये हैं कि यदि किसी खातेदार की भूमि में आने जाने बाबत कोई रास्ता विद्यमान न हो तो काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि में सुविधा पूर्वक पहुॅच सके रास्ता कायम कर सकते हैं , लेकिन इस प्रकरण में ग्रम चांदा की ढाणी आबादी के उपयोग उपभोग में आ रही है जिसमें कोई काश्त नहीं होती है तथा ढाणी में आने जाने के लिये अनादिकाल से दो रास्ते आराजी खसरा नम्बर 1457 व 1333 में से होकर विद्यमान है जिनमें खसरा नम्बर 1457 में ग्रम पंचायत द्वारा सीमेन्टेड रोड व खसरा नम्बर 1333 में ग्रेवल रोड डाल रखी है, जो ग्रम चांदा ढाणी के लोगों के लिये आने जाने हेतु विद्यमान है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमियॅा भी इसी से जुडी हुई है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
दौसा

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार लवाण ने पत्र दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र आम जनता ग्रम चांदा की ढाणी ग्रम लवाण द्वारा जगदीश चांदा बाबत आम रास्ता ख.नं. 1422 रकबा 0.01 व ख.नं. 1410 रकबा 1.10 राजस्व रेकार्ड में कटवाने हेतु प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2018 द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरान में से गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया है । तहसीलदार लवाण ने अपने पत्र कमांक भू.अ. / 2018 / 380 दिनांक 16.4.2018 उप खण्ड अधिकारी दौसा को वाद में जवाब प्रतिवादी के संबंध में वांछित तथ्यात्मक बिन्दुवार प्रेषित किया था जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्रम लवाण अनोखी देवी के नाम

खा जारी में दर्ज होना तथा इस खसरा नम्बर के लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 1333 रकबा 1.07 हैक्टेयर में ग्रेवल सडक स्थित होना तथा खसरा नम्बर 4043 व 1457 रेकार्ड के अनुसार रास्ता दर्ज होना, अस्थाई रास्ता नक्शे में दर्शित व मौके पर कायम होना, लेकिन राजस्व रेकार्ड अनुसार कायम रास्ता दर्ज नहीं होकर खातेदारी में होकर स्थित होना, जो रास्ता ढाणी चांदा से दौसा लवाण रोड तक पहुँचने हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में स्थित होना अंकित किया है । जमाबन्दी संवत 2071–2074 ग्राम लवाण के में खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.1000 गैर मुमकीन रास्ता एवं खसरा नम्बर 1333 रकबा 1.0700 गैर मुमकीन नाला दर्ज है तथा नक्शे में भी अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा उसकी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2018 को प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार लवाण के तथ्यात्मक जवाब में अंकित तथ्यों पर गौर किये बिना ही तथा पूर्व में रास्ते कायम होने पर भी विवादित स्थल का मौका देखे बिना अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से नया गैर मुमकीन रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2018 को उचित एवं विधिसम्यक नहीं पाते हैं तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलार्थी की आपत्तियों का विधिक रूप से निस्तारण कर, विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट लेकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 4.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उपरोक्तानुसार उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलार्थी की आपत्तियों का विधिक रूप से निस्तारण कर, विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट लेकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 7.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर